



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 08.06.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी व मुख्य विकास अधिकारी महोदय खीरी की अध्यक्षता में थाना फूलबेहड़ में हुआ "थाना समाधान दिवस" का आयोजन



आज दिनांक 08.06.2024 को माह के द्वितीय शनिवार को जनपद के समस्त थानों पर "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा व मुख्य विकास अधिकारी महोदय खीरी, श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा थाना फूलबेहड़ पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान प्राप्त जनशिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा सर्किल के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

थाना निघासन पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों से संबंधित 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2024 को थाना निघासन पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों 1. संजय पुत्र परशु निवासी ग्राम गौड़ीपुरवा थाना निघासन खीरी सम्बन्धित केस नंबर 8507/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम कोर्ट जे0एम0 निघासन 2. इरफान पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम लालपुर थाना निघासन खीरी (सम्बन्धित केस नंबर 205/22 अप0सं0 148/20 धारा 138बी विद्युत अधिनियम कोर्ट ए0सी0जे0एम 4) को को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 दुर्गेश कुमार शर्मा, (चौकी प्रभारी झण्डीराज)
- 2.हे0का0 राजकुमार
- 3.का0 सुरेन्द्र दुबे

थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सन्तलाल पुत्र भगन को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2024 को थाना सम्पूर्णनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2024 धारा 2b(17)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 मे नामजद वांछित अभियुक्त सन्तलाल पुत्र स्व0 भगन नि0ग्राम बहादुरनगर (चन्द्रनगर) थाना हजारा जिला पीलीभीत को थाना क्षेत्र के गोविन्दनगर चौराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण-

सन्तलाल पुत्र स्व0 भगन नि0ग्राम बहादुरनगर (चन्द्रनगर) थाना हजारा जिला पीलीभीत

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संजीव कुमार तोमर, थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
2. हे0का0 मेघनाथ यादव, थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
3. का0 देवराज, थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
4. का0 प्रदीप कुमार, थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी
5. का0 नरेन्द्र कुमार, थाना सम्पूर्णनगर जनपद खीरी

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, 15 अदद अवैध नशीली टैबलेट (अल्प्रासेफ) की स्ट्रिप बरामद कर अभियुक्त राजेश खन्ना पुत्र कुलदीप राज खन्ना को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2024 को थाना पढुआ पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त राजेश खन्ना पुत्र कुलदीप राज खन्ना को ग्राम पठाननपुरवा से एक अपरादर्शी पन्नी में 15 अदद अवैध नशीली टैबलेट के स्ट्रिप ,01 मोबाइल फोन व 1,100 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना पढुआ पर मु0अ0सं0 222/2024 व धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त राजेश खन्ना पुत्र कुलदीप राज खन्ना निवासी 14 प्रेमनगर सीतापुर जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण-

एक अपरादर्शी पन्नी में 15 strip अवैध नशीली टैबलेट (अल्प्रासेफ)
01 मोबाइल फोन व 1,100 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 152.2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना पसगवां खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह, चौकी प्रभारी पढुआ
- 2.हे0का0 अबरार हुसैन
- 3.का0 योगेन्द्र कुमार

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त विशम्भर पुत्र छोटे को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2024 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग / के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त विशम्भर पुत्र छोटे नि०ग्राम कोला मजरा सिंगावर थाना ईसानगर जनपद खीरी को दाहुरा नदी पुल सिंगावर से गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 234/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशम्भर पुत्र छोटे नि०ग्राम कोला मजरा सिंगावर थाना ईसानगर जनपद खीरी

अपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 047/2019 भादवि० थाना ईसानगर जनपद खीरी

मु०अ०सं० 073/2019 भादवि० थाना ईसानगर जनपद खीरी

मु०अ०सं० 234/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० शेषनाथ दूबे थाना ईसानगर जनपद खीरी
- 2.हे०का० हरिहर प्रसाद थाना ईसानगर जनपद खीरी
- 3.का० जितेन्द्र कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी
- 4.का० दिशांशु चौहान थाना ईसानगर जनपद खीरी

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त नन्द किशोर उर्फ गड्डे पुत्र हरद्वारी को गिरफ्तार किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.06.2024 को थाना पढुआ पुलिस द्वारा मु0अ0सं 221/2024 धारा 302/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त नन्द किशोर उर्फ गड्डे पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम कन्डौहा मजरा तेलियार थाना पढुआ खीरी को बृहद ग्राम तेलियार कारीकोट मंदिर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नन्द किशोर उर्फ गड्डे पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम कन्डौहा मजरा तेलियार थाना पढुआ खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 हरिकेश राय, थाना पढुआ खीरी
- 2.हे0का0 अरुण गिरी थाना पढुआ खीरी
- 3.हे0का0 मो0 अली थाना पढुआ खीरी

" बाल श्रम उन्मूलन, अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी व नशा मुक्ति" जागरूकता अभियान



आज दिनांक 08.6.2024 को शासन द्वारा चलाए जा रहे माननीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व पत्र स0 एसी-3 (बाल श्रम उन्मूलन अभियान)2024 दिनांकित 31.5.2024 श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अनुपालन में आज दिनांक 08.06.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, श्री गणेश प्रसाद साहा जनपद लखीमपुर खीरी के आदेश एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी के निकट पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थाना AHTU खीरी से प्रभारी उप निरीक्षक श्री राम अवतार हेड कांस्टेबल राजेश कुमार , म0 मु0का0 नीरज गिल, सीमा सिंह चौहान चाइल्ड लाइन से अखिल कुमार मिश्र की संयुक्त टीम द्वारा थाना खीरी क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित ईट भट्टो मे बालश्रम, अनैतिक देह व्यापार व मानव तस्करी तथा तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने हेतु आम जनमानस को जागरूक किया गया ।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 140 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **140 लीटर अवैध शराब** बरामद कर **10 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **10 अभियोग** पंजीकृत किए गए।